

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2360/2018

Gopa Ram

----Appellant

Versus

Lrs Of Rupa Ram

----Respondent

Connected With

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2154/2018

Gopa Ram

----Appellant

Versus

Lrs Of Heera

----Respondent

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2164/2018

Gopa Ram

----Appellant

Versus

Lrs Of Navaram

----Respondent

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2266/2018

Gopa Ram

----Appellant

Versus

Lrs Of Sajana

----Respondent

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2276/2018

Gopa Ram

----Appellant

Versus

Sangrama Ram

----Respondent

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2282/2018

Gopa Ram

----Appellant

Versus

Lrs Of Sankalaram

----Respondent

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2322/2018

Gopa Ram



----Appellant

Versus

Baba

----Respondent

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2325/2018

Gopa Ram

----Appellant

Versus

Jagata Ram

----Respondent

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2327/2018

Gopa Ram

----Appellant

Versus

Prabhu

----Respondent

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2359/2018

Gopa Ram

----Appellant

Versus

Lrs Of Sadaram And Kishani

----Respondent

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2380/2018

Gopa Ram

----Appellant

Versus

Lala

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Bharat Shrimali

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE MADAN GOPAL VYAS

Order

26/09/2023

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2360/2018 में आदेश दिनांक 15.05.2023 के द्वारा defects remove किए जा चुके हैं। इस आदेश के माध्यम से अन्य शेष अपीलों के संबंध में आदेश पारित किया जा रहा है।

02. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना।
03. बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष इन प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि का जो आदेश दिया था, उनसे संबंधित चेक संख्या 1324 (₹61160), 1327 (₹61160), 1317 (₹290997), 1313 (₹61160), 1311 (₹209026), 1328 (₹290997), 1314 (₹61160), 1321 (₹290997), 1323 (₹224126), 1326 (₹61160) पेश किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब बीमा कंपनी द्वारा राशि जमा करवाई जा चुकी है, तो क्षतिपूर्ति राशि का प्रमाण पत्र पेश करने के संबंध में Defect No. 2 को overrule किया जाता है।
04. जहां तक Defects Nos. 4 से 6 का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थना पत्र पर 2 रुपये की टिकट लगा दी गई है और विद्वान अधिकरण में हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य है। अन्य प्रकरण भी अपील में चल रहा है, जिसमें प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है और इन प्रकरणों में फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। ऐसी स्थिति में Defects Nos. 4 से 6 को overrule किया जाता है।
05. Defect No. 3 के संबंध में आक्षेपित निर्णय पर कोर्ट फीस लगा दी गई है, अतः Defect No. 3 को overrule किया जाता है।
06. Defect No. 1, परिसीमा से संबंधित है, जिसके संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यर्थीगण को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र व अपील के नोटिस जारी किए जाएं।
07. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी दिनांक 11.10.2023 तक धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र व अपील के पीएफ व नोटिस प्रस्तुत करें, जो दिनांक 25.10.2023 तक वापसी योग्य दो प्रतियों में जारी कर एक प्रति साधारण प्रक्रिया से तथा दूसरी प्रति रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किए जाने हेतु योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को दस्ती के रूप में प्रदान की जावे।
08. पत्रावलियां दिनांक 30.10.2023 को सूचीबद्ध हो।

(MADAN GOPAL VYAS),J